## GOVERNMENT OF RAJASTHAN FINANCE DEPARTMENT (TAX DIVISION)

## NOTIFICATION Jaipur, February 08, 2024

In exercise of the powers conferred by sections 18 and 22 of the Rajasthan Finance Act, 2020 (Act No. 9 of 2020), the State Government being of the opinion that it is expedient in the public interest so to do, hereby exempts,-

(i) land tax payable on all classes of lands with effect from 08.02.2024; and

(ii) land tax payable prior to 08.02.2024 on all classes of lands along with penalty and interest payable thereon, subject to condition that 10% of the original amount of the land tax payable by the land holder is deposited upto 31.07.2024:

Provided that the land tax already paid or deposited shall not be refunded.

[No.F.4(2)FD/Tax/2024-65] By order of the Governor,

(Namrata Vrishni)

Joint Secretary to the Government.

राजस्थान सरकार वित्त विभाग (कर अनुभाग) अधिसूचना जयपुर, फरवरी 08, 2024

राजस्थान वित्त अधिनियम, 2020 (2020 का अधिनियम सं. 09) की धारा 18 और 22 द्वारा प्रदत्त शिक्तयों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार, यह राय होने पर कि लोकहित में ऐसा किया जाना समीचीन है, इसके द्वारा,-

- (i) भूमि के समस्त वर्गों पर संदेय भूमि कर से, दिनांक 08.02.2024 से; और
- (ii) इस शर्त के अध्यधीन रहते हुए कि भूमि धारक द्वारा संदेय भूमि कर की मूल रकम का 10 प्रतिशत 31.07.2024 तक जमा करा दिया जाता है, उस पर संदेय शास्ति और ब्याज के साथ भूमि के समस्त वर्गों पर 08.02.2024 से पूर्व संदेय भूमि कर से, छूट देती है:

परन्तु पूर्व में संदत्त या निक्षिप्त भूमि कर का प्रतिदाय नहीं किया जायेगा।

[प.4(2)वित्त/कर/2024-65]

राज्यपाल के आदेश से,

(नमता वृष्णि)

संयुक्त शासन सचिव